



फॉर्म III {स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें}
Form III (Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENSE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित
(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. म.क्षे.का / क्यू एम/एल-8004025
Licence No. CRO/QMS/L-8004025

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016),
the Bureau hereby grants to

आल्टिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
प्लॉट नंबर बीआर 04, औद्योगिक विकास केंद्र,
डि-नोटिफाइड क्षेत्र, सेक्टर-V,
पिठामपुर, मध्यप्रदेश- 454774

Altis Industries Private Limited,
Plot No. Br 04, Industrial Growth Center,
De-Notified Area, Sector-V,
Pithampur,
Madhya Pradesh- 454774

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of **Quality Management Systems Certification** in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 9001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is **granted** subject to the relevant provisions of the above Act and the Rules and Regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 11th नवंबर 2025 से 11th जून 2026 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।
This licence shall be valid from 11th November 2025 to 11th June 2026 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2025 के नवंबर माह के ग्यारवे दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and dated this **Eleventh** day of Nov 2025.

(Sh. Shyam Sunder)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS





फॉर्म III (स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें)
Form III (Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENSE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित
(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. म.क्षे.का./क्यूएम/एल - 8004025

Licence No. CRO/QM/L- 8004025

जारी:

आल्टिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
प्लॉट नंबर बीआर 04, औद्योगिक विकास केंद्र,
डि-नोटिफाइड क्षेत्र, सेक्टर-V,
पिठामपुर, मध्यप्रदेश- 454774

Issued to :

Altis Industries Private Limited,
Plot No. Br 04, Industrial Growth Center,
De-Notified Area, Sector-V,
Pithampur, Madhya Pradesh- 454774

अनुसूची
SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं/प्रक्रम जिनके संबंध में कार्यालय/ईकाई को गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किया गया है:

Products Services/Processes with respect to which the office/unit has been granted the licence for Quality Management Systems Certification as per IS/ISO 9001:2015:

“Design, development, manufacturing, commissioning of customized steel structures including pre-engineered buildings, weighbridge structures, industrial steel structures, housing enclosures, material handling equipment, automation systems, gates and access systems, manufacturing of pot PTFE type bridge bearings bridge expansion joints, fabrication of composite and other steel girders.”

(Sh. Shyam Sunder)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

